ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

2 December 2024

यूपीआई धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि

सन्दर्भ: वित्त मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) धोखाधड़ी के मामलों में 85% की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि में धोखाधड़ी की घटनाओं की संख्या 7.25 लाख (2023) से बढ़कर 13.42 (2024) लाख हो गई। इन धोखाधड़ी वाले लेन-देन का कुल मूल्य भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा, जो पिछले वर्ष के 573 करोड़ से बढ़कर 1,087 करोड़ तक पहुँच गया।

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा बैंकों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। यह मोबाइल उपकरणों के माध्यम से निर्बाध, सुरक्षित और त्वरित डिजिटल लेनदेन को सक्षम बनाता है।

यूपीआई धोखाधड़ी के प्रकार

- **फिशिंग हमले:** यह धोखाधड़ी का सबसे सामान्य रूप है, जिसमें हमलावर भ्रामक ईमेल या संदेशों का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं से यूपीआई पिन या बैंक खाता विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।
- **मैलवेयर हमले:** यह दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर स्मार्टफोन को निशाना बनाकर यूपीआई ऐप्स से समझौता कर सकते हैं और संवेदनशील डेटा चुरा सकते हैं। इस प्रकार के हमलावरों को उपयोगकर्ता के डिवाइस तक दूर से पहुँच प्राप्त करने और धोखाधड़ी वाले लेनदेन करने की अनुमति मिलती है।
- **सोशल इंजीनियरिंग धोखाधड़ी:** इस प्रकार में धोखेबाज पीड़ितों में तात्कालिकता या भय की भावना पैदा करके (जैसे कि बैंक अधि कारी या पुलिस अधिकारी होने का दिखावा कर) संवेदनशील जानकारी निकालने या दबाव में लेनदेन करने के लिए उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं।

मुख्य बिंदु:

- **धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि:** यूपीआई धोखाधड़ी की घटनाएं वित्त वर्ष 2023 में 7.25 लाख से बढ़कर 2024 में 13.42 लाख हो गई, जिसमें कुल वित्तीय मूल्य लगभग दोगुना हो गया, जो साइबर अपराध से संबंधित वित्तीय नुकसान में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।
- **यूपीआई का बढ़ता प्रचलन:** यूपीआई लेन-देन में लगातार वृद्धि देखी जा रही हैं, हालांकि यह वृद्धि सकारात्मक है। लेकिन इससे धोखेबाजों के लिए और भी अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।
- **वित्त वर्ष 2024-25 में धोखाधड़ी की घटनाएं:** वित्त वर्ष 2024-25 के पहले महीनों में 6.32 लाख धोखाधड़ी की घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें 485 करोड़ की राशि शामिल थी। यह पिछले वर्ष की कुल राशि का लगभग आधा है, जोकि एक खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करता है।
- **विकास के साथ बढ़ी भेद्यता:** जैसे-जैसे यूपीआई का प्रचलन विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा है, डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण उपयोगकर्ता धोखाधड़ी के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। धोखेबाज अब फर्जी कॉल और संदेश जैसे भ्रामक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं।

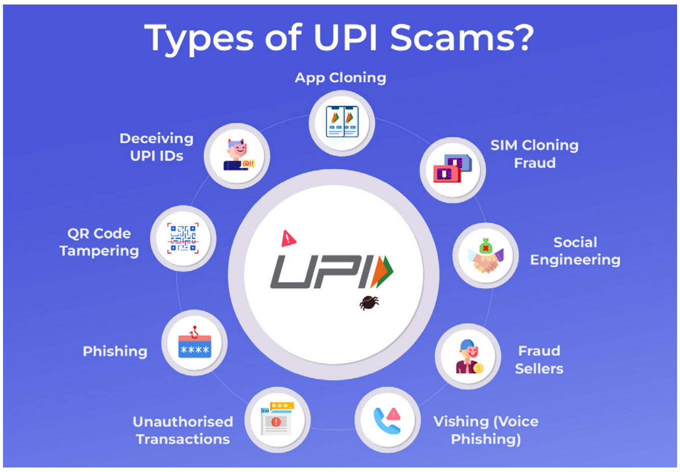

भारत में साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए पहल:

- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14सी):** राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर साइबर अपराध से निपटने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
- **सर्ट-इन:** साइबर सुरक्षा मार्गदर्शन प्रदान करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी।
- **पीएमजी दिशा:** एक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना है।
- **साइबर स्वच्छता केंद्र:** बॉटनेट संक्रमण का पता लगाता है और साइबर खतरों से उपकरणों और नेटवर्क को सुरक्षित रखने में मदद करता है।
- **सुरक्षा उपाय:** सरकार और आरबीआई ने सीपीएफआईआर, डिवाइस बाइंडिंग, पिन-आधारित प्रमाणीकरण और लेनदेन सीमा जैसे उपाय पेश किए हैं।
- **जन जागरूकता और रिपोर्टिंग:** राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और जागरूकता अभियान जैसी पहलों का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना और धोखाधड़ी को कम करना है, हालांकि धोखेबाजों की बदलती रणनीति के लिए अधिक उन्नत समाधानों की आवश्यकता हो सकती है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने शुरू की गूगल की नीतियों की जांच

सन्दर्भ: हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने गूगल की नीतियों

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

की जांच का आदेश दिया है। यह कार्रवाई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विनजो की शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें गूगल की नीतियों को भेदभावपूर्ण करार दिया गया है।

- विनजो का आरोप है कि गूगल ने अपने प्ले स्टोर पर असली पैसे (Real Money) वाले खेलों के संबंध में नीतियों में बदलाव किया, जिससे विनजो का ऐप बाहर हो गया, जबकि अन्य प्रतिस्पर्धी ऐप्स को स्वीकार किया गया।

सीसीआई के प्रथम दृष्टया निष्कर्ष:

- गूगल के प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार के ठोस प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जोकि दर्शाते हैं कि उसके पायलट कार्यक्रम कुछ विशिष्ट ऐप्स को विशेष रूप से तरजीह देते हैं, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा में विकृति हो रही है।
- गूगल की नीति प्रवर्तन में पारदर्शिता की कमी के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं, जिससे छोटे प्रतिस्पर्धियों और उपभोक्ताओं को नुकसान हो सकता है। इन मुद्दों की जांच के लिए महानिदेशक को दो महीने का समय सौंपा गया है।

गूगल के तर्क:

- गूगल का तर्क है कि भारत में खंडित (Fragmented) गेमिंग कानून, विशेष रूप से कौशल के खेल और भाग्य के खेल (Games of Chance) के बीच अंतर, गेमिंग ऐप्स के केस-दर-केस मूल्यांकन की आवश्यकता को दर्शाता है।
- कंपनी ने भारतीय राज्यों में विविध विनियामक परिदृश्य की ओर भी ध्यान दिलाया है, जिससे एकीकृत नीति को लागू करना कठिन हो रहा है।

भारत में बढ़ती प्रतिस्पर्धा निरोधक जांच:

- प्रतिस्पर्धा-विरोधी जांच की एक बढ़ती प्रवृत्ति के रूप में, नियामक तेजी से तकनीकी दिग्गजों द्वारा की जाने वाली प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं पर ध्यान दे रहे हैं।
- 2023 में, CCI ने मेटा पर व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति से संबंधित एकाधिकार प्रथाओं के लिए 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
- यह भारत के उभरते डिजिटल परिदृश्य में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत नियामक रुख को दर्शाता है।

भारत में एकाधिकार विरोधी कानून:

- भारत के एंटी-ट्रस्ट कानून, जोकि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 द्वारा शासित होते हैं, का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बाजार प्रभुत्व को विनियमित करना है। इन कानूनों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा लागू किया जाता है।

प्रमुख क्षेत्र:

- **प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते:** मूल्य निर्धारण, बोली-धांधली और बाजार हिस्सेदारी जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाते हैं।
- **प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरुपयोग:** प्रभुत्वशाली कंपनियों को अनुचित तरीके से प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाने से रोकता है, जैसे उच्च प्रारंभिक मूल्य निर्धारण या विशिष्ट समझौतों के माध्यम से।
- **विलय और अधिग्रहण:** यह बाजार में प्रतिस्पर्धा को कम करने के उद्देश्य से किए गए विलय और अधिग्रहण को विनियमित करता है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के बारे में:

- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI), भारत में प्रतिस्पर्धा-विरोधी कानूनों को लागू करता है और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।

महत्वपूर्ण कार्य:

- **प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं की जांच:** इसमें प्रभुत्व के दुरुपयोग और अनुचित व्यापार प्रथाओं से निपटना शामिल है।
- **विलय और अधिग्रहण की समीक्षा:** यह सुनिश्चित करता है कि विलय से बाजार की प्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
- **सलाहकार भूमिका:** प्रतिस्पर्धा नीतियों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- **दंड और उपचार:** उल्लंघन के लिए जुर्माना और सुधारात्मक कार्रवाई लागू करता है।

पर्यटन अवसंरचना में सुधार के लिए निवेश

सन्दर्भ: हाल ही में भारत सरकार ने 23 राज्यों में 40 प्रमुख पर्यटन परियोजनाओं के लिए 3,295.76 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य भारत के पर्यटन बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, प्रमुख स्थलों को वैश्विक आकर्षण में बदलना, टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना, और रोजगार के अवसर पैदा करना है।

निवेश की मुख्य विशेषताएं:

- **शामिल क्षेत्र:** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष सहायता (SASCI) योजना के तहत पूंजी निवेश से 23 राज्यों में पर्यटन स्थलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन किया जाएगा।
- **परियोजनाएं:** प्रमुख परियोजनाओं में गंडिकोटा किला, पुष्करम घाट (आंध्र प्रदेश), सियांग एडवेंचर और इको-टूरिज्म (अरुणाचल प्रदेश), असम चिड़ियाघर और बॉटनिकल गार्डन, रोरिक एस्टेट (बेंगलुरु), उमियम झील (शिलांग), नाथुला दर्रा (सिक्किम), ऋषिकेश राफ्टिंग स्टेशन और सिंधुदुर्ग अंडरवाटर टूरिज्म (महाराष्ट्र) शामिल हैं।

निवेश के लाभ:

- **आर्थिक विकास:** ये परियोजनाएं पर्यटन को आकर्षित करके, आतिथ्य,

परिवहन और खुदरा व्यापार को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगी।

- **रोजगार सृजन:** निर्माण, पर्यटन सेवाओं और बुनियादी ढांचा प्रबंधन में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
- **स्थिरता:** कई परियोजनाएं पारिस्थितिकी पर्यटन और हरित पहल पर केंद्रित हैं, जो जिम्मेदार यात्रा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती हैं।
- **तकनीकी एकीकरण:** सरकार डिजिटल टिकटिंग और आगंतुक ट्रैकिंग जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को शामिल करने की योजना बना रही है, जिससे प्रबंधन में सुधार और पर्यटक अनुभव को बढ़ावा मिलेगा।
- **भीड़भाड़ कम करना:** सरकार का उद्देश्य नए पर्यटन स्थलों का विकास करके लोकप्रिय स्थलों पर भीड़भाड़ को कम करना है, जिससे पर्यटन का संतुलित वितरण संभव हो सके।

भारत में पर्यटन क्षेत्र के बारे में:

- भारत, अपनी विविध भौगोलिक विशेषताओं और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के साथ, पर्यटन के लिए अनंत संभावनाएं प्रस्तुत करता है। इस दिशा में सरकार ने आध्यात्मिक पर्यटन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य तीर्थयात्रियों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहे हैं।
- पर्यटन और आतिथ्य उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख अंग हैं, जोकि न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित करने में योगदान करते हैं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक विकास को भी प्रेरित करते हैं। पर्यटन न केवल भारत के गौरवपूर्ण इतिहास और विविध संस्कृति का प्रदर्शन करता है, बल्कि यह स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और समृद्धि के नए अवसर भी उत्पन्न करता है।

पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रमुख पहल:

- 2024 के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन क्षेत्र के लिए 2,449.62 करोड़ (294.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर) आवंटित किए हैं, जोकि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 44.7% की वृद्धि है।

महत्वपूर्ण पहल:

- **स्वदेश दर्शन योजना (SD 2.0):** थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसका उन्नत संस्करण SD 2.0, व्यापक विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर केंद्रित है।
- **गंतव्य-आधारित कौशल विकास:** स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने पर्यटन सेवाओं में सुधार और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए 145 गंतव्यों पर 12,187 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है।

सिलिका खनन और स्वास्थ्य जोखिम: एनजीटी ने सीपीसीबी को राष्ट्रव्यापी दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया

सन्दर्भ: सिलिका धूल के उत्सर्जन से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं की चिंताओं को दूर करने के लिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को सिलिका रेत खनन और वाशिंग प्लांट्स के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य जोखिम और पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना है।

- सिलिका खनन, जोकि कांच निर्माण और निर्माण जैसे उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न कर रहा है। इस धूल के लंबे समय तक संपर्क में रहने से सिलिकोसिस नामक गंभीर फेफड़ों की बीमारी हो सकती है।

एनजीटी द्वारा सीपीसीबी को दिए गए प्रमुख निर्देश

- **दिशा-निर्देशों का विकास:** सीपीसीबी को सिलिका खनन और धुलाई संयंत्रों के लिए परिचालन मानकों के विकास का कार्य सौंपा गया है ताकि स्वास्थ्य जोखिम और प्रदूषण को कम किया जा सके। दिशा-निर्देश तीन महीनों के भीतर जारी किए जाने की संभावना है।
- **स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपाय:** एनजीटी ने श्रमिकों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच पर जोर दिया है, जिसमें सिलिकोसिस की निगरानी भी

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

शामिल है, और सुरक्षात्मक गियर तथा बेहतर वेंटिलेशन के उपयोग की सिफारिश की है।

- **निगरानी और प्रवर्तन:** एनजीटी ने नियामक निकायों से नियमित निरीक्षण करने और नए दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
- **उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना:** उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सिलिकोसिस का शीघ्र पता लगाने और उपचार के लिए सिलिका खनन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।
- **गैर-अनुपालन के लिए दंड:** एनजीटी ने अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त कंपनियों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है, जिससे जवाबदेही को सख्त किया जा सके।

सिलिका खनन:

- सिलिका खनन में मुख्य रूप से क्वार्ट्ज से बनी सिलिका रेत को खुले गड्ढों वाली खदानों से निकाला जाता है, जिसे फिर अशुद्धियों से मुक्त करने के लिए धोया जाता है। सिलिका रेत विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक है, लेकिन जब श्रमिक और आसपास के समुदाय महीन सिलिका धूल के संपर्क में आते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए जोखिम उत्पन्न होता है।

सिलिका धूल के स्वास्थ्य जोखिम:

- सिलिका धूल का श्वास में प्रवेश करने से सिलिकोसिस हो सकता है, जोकि फेफड़ों की बीमारी है, जिसमें सांस लेने में कठिनाई और फेफड़ों में जख्म हो जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त, सीओपीडी (क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) और तपेदिक जैसी अन्य श्वसन संबंधी बीमारियाँ भी लंबे समय तक संपर्क में रहने से उत्पन्न हो सकती हैं।
- हवा और पानी में धूल के प्रदूषण के कारण खनन उद्योग में काम करने वाले श्रमिक और खनन स्थलों के आस-पास रहने वाले लोग दोनों ही स्वास्थ्य जोखिमों से प्रभावित हो सकते हैं।

सिलिका खनन के लिए कानूनी ढांचा:

- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957:** सिलिका निष्कर्षण सहित खनन क्षेत्र को विनियमित करता है।
- **कारखाना अधिनियम, 1948:** खनन कार्यों में श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, वेंटिलेशन और सुरक्षात्मक गियर को अनिवार्य बनाता है।
- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986:** खनन गतिविधियों के लिए पर्यावरण मानक निर्धारित करता है।
- **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020:** खतरनाक व्यवसायों में श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।
- **वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981:** वायु गुणवत्ता और सिलिका धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करता है।

पॉवर पैक्ड न्यूज

अग्नि योद्धा (XAW-2024)

- हाल ही में भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों (एसएएफ) के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, अग्नि योद्धा (एक्सएडब्ल्यू-2024) का 13वां संस्करण देवलाली, महाराष्ट्र स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। यह तीन दिवसीय अभ्यास 28 से 30 नवंबर तक आयोजित हुआ, जिसमें सिंगापुर आर्टिलरी के 182 कर्मियों और भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट के 114 कर्मियों ने सक्रिय भागीदारी की।
- एक्सएडब्ल्यू-2024 का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच अभ्यास और प्रक्रियाओं की आपसी समझ को बढ़ाना था, साथ ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत एक बहुराष्ट्रीय बल के रूप में एकजुटता को बढ़ावा देना था। इस अभ्यास में संयुक्त अग्निशक्ति नियोजन, क्रियान्वयन और उन्नत पीढ़ी के तोपखाने उपकरणों के अनुप्रयोग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इस अभ्यास में संयुक्त तैयारी, समन्वय और दोनों देशों की तोपखाने प्रक्रियाओं के बीच साझा इंटरफेस के विकास पर जोर दिया गया।

- दोनों पक्षों ने विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान किया और अग्निशक्ति नियोजन पर व्यापक प्रशिक्षण आयोजित किया, जिससे अंतर-संचालनीयता प्रदर्शित हुई और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को गहन किया गया।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुनः निर्वाचित हुआ भारत

- भारत को 2025-2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग (PBC) में फिर से चुना गया है। दिसंबर 2005 में PBC की स्थापना के बाद से,

भारत वैश्विक शांति प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल हुआ है और इसका एक महत्वपूर्ण सदस्य रहा है।

- PBC एक अंतर-सरकारी सलाहकार निकाय है, जोकि संघर्षों से प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करता है और शांति निर्माण और शांति बनाए रखने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद को सलाह देता है।
- यह आयोग शांति स्थापना के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जिसका उद्देश्य संघर्षों के मूल कारणों को संबोधित करना और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना है।
- भारत का पुनः निर्वाचन अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना और बहुपक्षीय सहयोग के प्रति उसकी मजबूत प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। एक सदस्य के रूप में, भारत संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति और विकास को बढ़ावा देने की दिशा में अपनी भूमिका निभाना जारी रखेगा।

बागवानी क्षेत्र में पौध स्वास्थ्य के लिए भारत और एडीबी का ऋण समझौते

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत के बागवानी क्षेत्र में पौध स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 98 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल का उद्देश्य किसानों को प्रमाणित रोग-मुक्त रोपण सामग्री प्रदान करना, फसल की पैदावार, गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति लचीलापन बढ़ाना है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्यः

- **पौधों के स्वास्थ्य में सुधारः** यह परियोजना आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम (CPP) का समर्थन करती है, जोकि किसानों की उत्पादकता और आय को बढ़ाने के लिए बेहतर पौध स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **जलवायु अनुकूलनः** बढ़ते तापमान और चरम मौसम से प्रभावित कीट और रोग व्यवहार को संबोधित करके, यह पहल किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने में मदद करती है।
- **प्रमाणन और विनियमनः** स्वच्छ पौध प्रमाणन योजना निजी नर्सरियों को मान्यता प्रदान करेगी और रोग मुक्त रोपण सामग्री को प्रमाणित करेगी।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान

- हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान "बाल विवाह मुक्त भारत" का शुभारंभ किया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान बाल विवाह उन्मूलन और युवा लड़कियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- यह पहल प्रधानमंत्री के 2047 तक 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जोकि जीवन के हर पहलू में महिलाओं और लड़कियों की पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी पर जोर देती है।
- अभियान का उद्देश्य बाल विवाह को समाप्त करना, युवा लड़कियों के जीवन पर इसके हानिकारक प्रभावों को पहचानना तथा व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए उनकी क्षमता को उन्मुक्त करना है।
- 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान बाल विवाह के विरोध में सभी नागरिकों से सक्रिय भागीदारी का आह्वान करता है और सरकार, विभिन्न मंत्रालयों और नागरिक समाज के बीच सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com